



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 12 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 21, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 112/XXXVI(3)/2014/18(1)/2014

देहरादून, 12 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014” पर दिनांक 04 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2014)

सड़क संरचना के दुरुपयोग, क्षति, अनाधिकृत प्रयोग और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1 (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 कहा जायेगा
विस्तार (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
और प्रारम्भ (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अथवा अपेक्षित न हो -

(क) 'कृषि' से उद्यान, दुग्धपालन, मुर्गीपालन और किसी बगीचे में वृक्षारोपण और उसका रख रखाव सम्मिलित है,

(ख) 'अपीलीय प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत है,

(ग) 'भवन' से आवास, झोपड़ी अथवा अन्य छत का ढोंचा चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए हो अथवा किसी सामग्री से निर्मित हो और उसका कोई भाग तथा इसमें कोई दीवार अथवा पक्का घर अथवा पक्की खाई अथवा नाली सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू अथवा कृषि प्रयोजन के लिए बाड़ सम्मिलित नहीं है,

(घ) 'भवन कम' से किसी सड़क या किसी सड़क के भाग के एक ओर के कम जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग में नियत रीति से विहित करे, अभिप्रेत है,

(ङ) 'अनुमोदन प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(च) 'नियंत्रित क्षेत्र' से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश पार्श्व सड़क भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945(समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 के अधीन घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

(छ) 'नियंत्रित क्रम' सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग के सम्बन्ध में नियत रीति से विहित भवन कम से इतर किसी सड़क अथवा किसी सड़क के भाग के किसी क्षेत्र का कम अभिप्रेत है,

(ज) 'विभाग' से उत्तराखण्ड सरकार का ऐसा विभाग जो सड़क संरचना से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करता है, अभिप्रेत है,

(झ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है,

(ञ) 'नक्शे' से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भाग का सड़क संरचना नक्शा अभिप्रेत है,

(ट) 'शासकीय गजट' से उत्तराखण्ड का राजपत्र अभिप्रेत है,

(ठ) 'पूजा स्थल' में मंदिर, चर्च, मस्जिद, इमाम बाड़ा, दरगाह, करबला, तकिया, ईदगाह, समाधि, मठ, सती का स्थान अथवा गुरुद्वारा सम्मिलित है,

(ड) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है,

(ढ) 'विहित प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ण) 'पुनर्विलोकन प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का सचिव अभिप्रेत है,

(त) 'सड़क' से उत्तराखण्ड सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी संरक्षित सड़क अभिप्रेत है और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित नहीं है,

(थ) 'सड़क संरचना' से यातायात अथवा संचार के लिए कोई सड़क, पथ और गली अभिप्रेत है और इसमें—

(एक) अर्जित सड़क भूमि की चौड़ाई,

(दो) सभी प्रकार की सड़क और उनकी संरचना, जैसे सड़क खड़न्जा, किनारे, खड़ी दीवार, तिरछी दीवार, सामान्य दीवार, नालियां, मोड़, सड़क किनारे की नालियां, सड़क मिलान, मेडियेन्स, ठोकर जैसे रम्बल स्ट्रीप, पथ प्रकाश, यातायात रोशनी इत्यादि,

(तीन) कोई यातायात और संचार पद्धति सड़क की सहायक संरचना,

(चार) पुल जिसमें पहुँच मार्ग, खड़ी दीवार, तिरछी दीवार, सुरक्षात्मक कार्य और

सहयोगी संरचना सम्मिलित है,

(पौंच) एक्सप्रेस मार्ग जिसमें आपसी परिवर्तन, श्रेणी बंटवारा, द्वि-भाग और अन्य आवश्यक संरचना सम्मिलित है,

(छः) सड़क सुविधा जैसे पैरापिट्स, रैलिंग, मोड़ पत्थर, किलोमीटर पत्थर, बैच, निशान, दर्शनीय और साइन बोर्ड, बैरीकेटिंग और कैश बैरीयर,

(सात) सड़क ऊपरी पुल, फ्लाईओवर्स और आने-जाने के मार्ग तथा उनकी सहयोगी संरचना,

(आठ) सड़क पार्श्व पार्किंग स्थल,

(नौ) सड़क पार्श्व वृक्षारोपण, नर्सरी, हैज़ और अन्य भू-दृश्य वस्तुएं,

(दस) टॉल बूथ/प्लाजा,

(ग्यारह) सुरंगें और सहायक संरचना,

(बारह) मार्ग पार्श्व सुविधाएं/संरचना जैसे वर्षा से बचाव के लिए आश्रय, बाई बस लेन, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क और सड़क से संलग्न शासकीय भूमि पर स्थित खुला स्थान,

(द) 'सचिव' से लोक निर्माण विभाग का उत्तराखण्ड सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए सचिव के रूप में किसी समय के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ध) 'कार्य निरीक्षक' से अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक निर्माण विभाग का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विभाग का वर्क एजेन्ट और मेट सम्मिलित हैं।

अतिक्रमण
पर निषेध

3 कोई व्यक्ति -

(एक) सड़क संरचना के अधीन सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा,

(दो) कोई स्थायी, अस्थायी अथवा चलित संरचना सड़क पर अथवा सड़क संरचना नहीं बनायेगा,

(तीन) किसी कार्यशाला अथवा किसी वाणिज्यिक गतिविधियों का कार्यान्वयन जिसमें सड़क संरचना पर पशुओं को बाँधने सहित सड़क का दुरुपयोग नहीं करेगा,

(चार) सड़क किनारे की नालियों और आर-पार नालियों की पद्धति को अवरोध/क्षति नहीं पहुँचायेगा,

(पांच) सड़क पर निजी सम्पत्तियों से कूड़ा-करकट नहीं फेंकेगा,

(छ) सड़क पर खुदान की मिट्टी/मलबा व कोई अन्य सामग्री नहीं फैलायेगा और अनाधिकृत रूप से सामग्री/वस्तुओं का स्थायी भण्डारण नहीं करेगा,

(सात) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना सड़क संरचना को क्षति/खुदाई नहीं करेगा,

(आठ) अनाधिकृत रूप से कोई हैंडपम्प अथवा पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं करेगा, (नौ) पहुँच मार्ग, सुरक्षा दीवार और विंग दीवार, पैराफिट, रैलिंग और प्रकाश पद्धति, सुरक्षात्मक कार्य, सुरंग, उनके सहयोगी संरचना तथा अन्य संरचनाएं जैसे सड़क खड़न्जा, किनारे रिटेनिंग दीवार, ब्रेस्ट दीवार, टो दीवार, निकासी नालियां और सड़क किनारे की नालियाँ, सड़क मिलान, ठोकर जैसे रम्बल स्ट्रीप्स, पथप्रकाश, यातायात प्रकाश, बैरीकेट्स, कैंश बैरियर, साइन बोर्ड, किलोमीटर पत्थर, सन्दर्भ पिलर, चाहरदीवारी पिलर, सड़क चिन्हांकन संरचनाएं, पैदल मार्ग, टॉलबूथ/प्लाजा, मार्ग की सुविधाएं जैसे वर्षा से बचाव के लिए आश्रय, बाई बस लेन, लोक सुविधाओं के लिए पार्क तथा सड़क एवं भवनों से लगी खाली भूमि और अन्य संरचनाएं जो कि सड़क की रखरखाव और यातायात की सुविधा दिलाने के लिए आवश्यक हो सहित पुल, सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर और अनिम्न प्रवेश को क्षति/विरूपित नहीं करेगा,

(दस) दुर्घटना स्थल पर अनुपयुक्त अथवा मरम्मत अथवा मरम्मत के बिना अथवा बेकार सामग्री/मशीनों को सड़क पर खड़ा नहीं करेगा,

(ग्यारह) सड़क के किनारे किए गये वृक्षारोपण, नर्सरी, हैज और अन्य भू-दृश्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त/नहीं उखाड़ेगा,

(बारह) अनाधिकृत रूप से होर्डिंग का प्रयोग नहीं करेगा,

(तेरह) 'उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण का प्रतिषिद्ध अधिनियम', 2003 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य नहीं करेगा,

(चौदह) अनाधिकृत रूप से स्वागत द्वार इत्यादि को नहीं लगायेगा,

(पन्द्रह) इस धारा के अधीन सरकार अधिसूचित कोई विलोपन अथवा आचरण का कोई कृत्य कारित नहीं करेगा, जो कि सड़क संरचना के लिए हानिकारक हो,

(सोलह) क्षेत्र में खनन के फलस्वरूप सड़क संरचना को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा,

(सत्रह) नियंत्रित क्षेत्र में कोई ढोँचा न तो लगायेगा और न ही बनायेगा।

संरचना

- 4 (1) सड़क संरचना का प्रभारी अधिशासी अभियन्ता 1:500 माप पर अपने क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना का एक नक्शा जो कि सड़क की लम्बाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करें, तैयार करेगा।
- (2) नक्शे में महत्वपूर्ण स्थलों जिसमें भवन और नियंत्रण रेखाएं तथा राजस्व विभाग द्वारा नियत स्थल सहित सड़क संरचना के रूप में सड़क संरचना के चिन्हांकन और पुनः सीमांकन के लिए संदर्भ बिन्दु भी प्रदर्शित करेगा और नक्शे को सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- (3) सरकार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर लोगों को सड़क के नक्शे की विधिमन्यता के सम्बन्ध में उसकी चाहरदीवारी तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शायेगा तथा सड़क संरचना के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए ऐसे नक्शे को उपलब्ध करायेगा तथा समाचार पत्र में

सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिन से साठ दिन के भीतर लोगों से आपत्तियों आमंत्रित करेगा और इसी प्रकार से प्रत्येक विस्तार अथवा परिवर्तन को कमशः प्रदर्शित करेगा।

(4) उठायी गई आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् सरकार ऐसे नक्शे को अंतिम रूप देगी और उसकी विधिमान्यता और अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में संदर्भ तथा प्रयोग की उपलब्धता के सम्बन्ध में जनता को सूचित करेगी।

(5) उपधारा 3 के अधीन कार्यवाही किए जाने के पश्चात् उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के खण्ड में सड़क संरचनात्मक के संदर्भ अभिलेख में रख दिया जायेगा और वह खण्ड के सड़क संरचना नक्शा के रूप में जाना जायेगा।

(6) विहित/अनुमोदित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के होने पर उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड के सड़क संरचना नक्शे को निर्धारण हेतु संदर्भित किया जायेगा।

(7) सड़क संरचना नक्शा जन सामान्य के निरीक्षण के लिए खण्ड में उपलब्ध रहेगा और विहित शुल्क के भुगतान करने पर क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

(8) राजमार्ग सहित भूमि के नियंत्रण के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार चिन्हित करेगी और सड़क के किनारे की निजी सम्पत्ति को भवन कम और नियंत्रण रेखा से दूर करने के लिए बाध्य करेगी।

निरीक्षक
के कर्तव्य

5 विहित प्राधिकारी अथवा कार्य निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसके क्षेत्राधिकार में अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि नहीं हो रही है।

प्रतिषिद्ध
गतिविधियों
का प्रकटन

6 (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी गतिविधि की जानकारी होने पर विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी करेगा एवं आवश्यकता होने पर सड़क संरचना को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देगा।

(2) उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी का आदेश प्रतिषिद्ध गतिविधि को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए लिखित रूप में होगा और स्कैच के माध्यम से भी प्रतिषिद्ध गतिविधि के प्रकटन की स्थिति नक्शे के सम्बन्धित भाग पर इंगित करेगा तथा ऐसी गतिविधि के विस्तार पर हुई क्षति अथवा होने वाली क्षति से अवगत करायेगा।

(3) विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सड़क संरचना को अपने मूल स्थिति में लाने हेतु निर्देशित करेगा व नोटिस जारी करने के तीन दिन के भीतर यथास्थिति बनाये रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने और पूर्ण करने हेतु अनुदत्त समय भी प्रदान करेगा।

(4) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये कोई निर्देश अथवा पारित आदेश का अनुपालन में असफल रहने वाले विशेष रूप से दोषी व्यक्ति के मूल्य और उसके जोखिम पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए कार्यवाही करेगा, इसके अतिरिक्त मौलिक रूप में लाने हेतु मूल्य को अधिरोपित कर सकेगा। इस प्रकार व्यय की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी तदनुसार सरकार को सुनिश्चित करेगा और विहित रीति से किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि के फलस्वरूप उपयोग में लायी गई सम्पत्ति को जब्त कर बिक्री करेगा।

(5) नोटिस की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गई रीति के अनुरूप होगी।

(6) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश को किसी आधार पर किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

दण्ड
का
अधिरोपण

7 इस अधिनियम की धारा 11 में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है, विहित प्राधिकारी सड़क संरचना पर छोड़े गये वाहन/मशीन/सामग्री को कब्जे में लेगा और इसके अतिरिक्त हटाने के मूल्य पर विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में वाहन/मशीन/सामग्री रखने की अवधि के लिए बीस हजार रुपये लेकिन न्यूनतम पांच हजार तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा,

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में लिए गये वाहन/मशीन/सामग्री को दस दिन से अधिक के लिए रखा जाता है तो अनुमोदन प्राधिकारी कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के लिए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन कार्यवाही करेगा।

आपत्तियों
पर सुनवाई

8 व्यथित पक्ष का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को उक्त आदेश की तामील के पन्द्रह दिन के भीतर आपत्ति योजित कर सकेगा और अनुमोदन प्राधिकारी व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए और उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अनुमोदन अथवा निरस्त करने के आदेश स्वपठित और कारण सहित विहित प्राधिकारी के माध्यम से जारी करेगा।

अपील

9 (1) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी के आदेश के पारित होने के तीस दिन के भीतर अपील योजित न कर दी गई हो,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कोई अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील योजित न करने के पर्याप्त कारण थे,

परन्तु यह और कि आवेदक जब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील योजित करे, विभाग द्वारा आंकलित मरम्मत मूल्य की पचास प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील के योजित होने के तीस दिन के भीतर अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित अथवा खारिज कर सकेगा।

अपीलीय प्राधिकारी

10. (1) धारा 9 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर पुनर्विलोकन के लिए सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्राधिकारी पुनर्विलोकन आवेदन के प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर या तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को अनुमोदित करेगा अथवा खारिज करेगा। सरकार इस धारा के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

शुल्क

11. (1) धारा तीन के खण्ड (एक), (तीन), और (आठ) में संदर्भित किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि में सम्मिलित कोई व्यक्ति को विहित प्राधिकारी सड़क संरचना को उसके मौलिक रूप में लाने के लिए आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश पारित होने के तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है तथा अनुदत्त समय के भीतर पूरा नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी त्रुटिकर्ता के मूल्य पर आदेश को प्रभावी किये जाने हेतु ऐसे उपाय कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्धों अथवा उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कार्य करता है अथवा अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर देकर ऐसे व्यक्ति को सड़क संरचना को मौलिक रूप में लाये जाने का शुल्क तथा सड़क संरचना के मौलिक मूल्य को अतिरिक्त रूप से निम्नवत् भुगतान करने के आदेश दे सकेगा—

(एक) धारा 3 के खण्ड (दो), (चार), (पांच), (सात), (नौ), (ग्यारह), (सोलह) और (सत्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए मौलिक मूल्य के पाँच गुने के बराबर होगा,

(दो) धारा 3 के खण्ड (छः) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए खुदान की मिट्टी/मलबा के संदर्भ में एक हजार रुपये प्रतिघन मीटर अथवा उसके भाग और खड़ी/पड़ी सामग्री के संदर्भ में दो हजार रुपये प्रति ट्रक भार अथवा उसके किसी भाग के प्रतिदिन की दर से,

(तीन) धारा 3 के खण्ड (बारह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन

के लिए एक हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर प्रति सप्ताह तब के लिए जब तक यह बना रहे,

(चार) धारा 3 के खण्ड (चौदह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए पॉच सौ रुपये प्रति मीटर, प्रतिदिन की दर से तब के लिए जब तक यह बना रहे,

(पांच) धारा 3 के खण्ड (तेरह) अथवा (पन्द्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए हटाने के मूल्य के पॉच गुने की दर से।

स्पष्टीकरण -

(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन सभी मौलिक मूल्य और देय शुल्क दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को जमा किये जायेंगे और ऐसा करने में असफल रहने पर इसे भू-राजस्व के अवशेष के रूप में ब्याज सहित जो कि जमा के लिए अंतिम तारीख के अनुसरण से प्रारम्भ होगा, वसूल किया जायेगा।

(2) हटाने/मौलिक मूल्य का निर्धारण उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दरों की प्रवृत्त अनुसूची के अनुरूप होगा।

अपराध
पर संज्ञान

12. (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति अथवा इस अधिनियम की धारा (5) के अधीन सौंपे गये दायित्वों में असफल रहने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं ले सकेगा, जब तक कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अधिकृत किसी लोक सेवक के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की जाती हैं।

अपराधों
का विचारण

13. इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के विचारण हेतु प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न श्रेणी सुनवाई हेतु सक्षम नहीं होगा।

सुविधाओं
का उपभोग

14. प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग करेगा; अर्थात्-

(एक) सड़क संरचना से निजी सम्पत्ति को पहुँच मार्ग बनायेगा,

(दो) पाईप लाईन, सिवेज लाईन, विद्युत केबिल, टेलिफोन केबिल आदि को बिछायेगा चाहे वह सड़क अथवा पुल के एक ओर हो या दोनों ओर हो,

(तीन) विद्यमान सड़क के किनारे से दोनों ओर 50 मीटर के भीतर खनन गतिविधि अथवा किसी पुल के 500 मीटर ऊपर धारा या 500 मीटर नीचे धारा खनन की गतिविधियाँ,

(चार) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी निजी अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन,

(पांच) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होर्डिंग का प्रदर्शन,

(छः) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर हैंडपम्पों को लगाना,

(सात) 48 घण्टे तक की अनधिक अवधि के लिए दुर्घटना घटित वाहन/वस्तुओं को खड़ा रखना और,

(आठ) 48 घण्टे से अनधिक अवधि के लिए सड़क पर किसी सामग्री/वस्तुओं का अस्थायी भण्डारण हेतु खण्ड (एक) से (छः) के अधीन सड़क संरचना के क्षेत्राधिकार वाले प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से तथा इस धारा के खण्ड (सात) और (आठ) के अधीन सुविधा के लिए प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता से लिखित रूप से अनुमति प्राप्ति हेतु आवेदन करेगा एवं इस प्रकार की अनुमति हेतु सभी आवेदन विहित रीति से किये जायेंगे,

बशर्ते कि धारा के अधीन उल्लिखित अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार मूल्य/शुल्क को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,

परन्तु यह कि इस धारा में उल्लिखित सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की दशा में लाभग्राही को कार्य की पूंजी जमा करनी होगी।

वाद
का परीक्षण

15. अनुमोदन प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को सम्पादित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद के परीक्षण के समय पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियां प्राप्त होगी—

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना तथा शपथ प्राप्त करना,

(ख) अभिलेखों के परीक्षण की अपेक्षा और प्रस्तुतिकरण, और

(ग) अन्य कोई मामले जो विहित किये जायें।

वाद वर्जन

16. इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी विभाग के किसी उच्चतर अधिकारी के निर्देश अथवा आदेशों के पालन में किसी कृत्यों के लिए जो उसके द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो, के विरुद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं चलाया जायेगा।

क्षेत्राधिकार

17. इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी मामले के असफल होने के सम्बन्ध में किसी प्रश्न के निस्तारण अथवा प्रस्तुत करने का कोई क्षेत्राधिकार किसी सिविल न्यायालय का नहीं होगा।

विभागीय
अभिरक्षा

18. सभी सड़क संरचनाएं, जैसे ही यह प्रभाव में आएगा, सरकार की ओर से विभाग की अभिरक्षा में समझे जायेंगे।

निकायों
को शक्ति
प्रदान
करना

19. सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के भीतर स्थित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और विकास प्राधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों के सम्पादन और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सशक्त कर सकेगी।

नियम
बनाने
की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अथवा अधिकृत किये जाने के लिए किसी नोटिस का प्रारूप और इसे तामील करने की रीति,

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संचालन,

(ग) विहित प्राधिकारी के कार्य का वितरण और आवंटन तथा किसी लम्बित कार्यवाही को किसी विहित प्राधिकारी से अन्य विहित प्राधिकारी को अन्तरित किया जाना,

(घ) प्रतिषिद्ध गतिविधियों के कृत्यों के परिणामस्वरूप हुई क्षति के आंकलन की रीति और ऐसे क्षति के आंकलन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्त,

(ङ) सड़क संरचना की पहुँच के सन्दर्भ में नक्शा तैयार करने की रीति,

(च) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अथवा इन्कार की जाने वाली अनुमति की रीति और अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क, तथा,

(छ:) कोई अन्य मामले जो विहित किये जायें।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।